न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

श्रीमती प्रेमबाई पत्नि नन्दराम माथुर
निवासी ग्राम कंजिया तहसील बीना
जिला सागर म0प्र0 --- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 180 । अ । 23, वर्ष 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 31-05-2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करती है :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम कंजिया तहसील बीना स्थित खसरा नंबर 696।3 नया नंबर 112 रकवा 1-18 हैक्टेयर भूमि निगरानीकर्ता ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 28-04-1981 को देवीप्रसाद वल्द नाथूराम से क्रय की थी, एवं विधिवत अपना नाम राजस्व रिकार्ड पर दर्ज करवाकर कृषि कार्य करती चली आ रही थी, किन्तु विचारण न्यायालय तहसीलदार बीना द्वारा वर्ष 2000-2001 में दिनांक 18-1-2001 को इस आशय का प्रतिवेदन तैयार किया कि अपीलार्थी ने जो भूमि क्रय की है, वह पट्टे की भूमि है, जो कि संहिता की धारा 165 (7) (ख) का उल्लंघन है, एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके आधार पर स्वमोटो पर प्रकरण पंजीबद्ध कर उभयपक्षों को आहूत कर (क्रेता एवं विक्रेता) विक्रेता को एकपक्षीय कर मात्र प्रतिवेदन के आधार पर धारा 165 (7) (ख) का उल्लंघन मानते हुए दिनांक 17-08-07 को विवादित आदेश पारित कर

XIX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.........................

प्रकरण कमांक 2294–एक/2016 निगरानी जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-7-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 180 अ–23/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–5–16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कॅजिया तहसील बीना स्थित भूमि सर्वे कमांक 696/3 बंदोवस्त के वाद नया नम्बर 112 रकबा 1.18 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के भूमिस्वामी देवी प्रसाद पुत्र नाथूराम थे। यह भूमि देवी प्रसाद को सन् 1959 में पट्टे पर प्राप्त हुई थी। वादग्रस्त भूमि को भूमिस्वामी देवी प्रसाद ने पंजीकृत विकय पत्र दिनॉक 28–4–1981 से महिला प्रेमवाई पत्नि जन्दूराम को विकय कर दी। नायव तहसीलदार बीना ने दिनांक 19–1–2001 को अपर कलेक्टर सागर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति के विकय हुई है, जिस पर से अपर कलेक्टर सागर ने आदेश दिनॉक 17–8–2007 पारित किया तथा म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) के उल्लॅंधन में विकय पत्र संपादित होना मानकर विकय पत्र को शून्य घोषित कर भूमि शासकीय दर्ज करने का दिया।	

इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 180 अ-23/ 2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-16 निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि का पटटा सन् 1959 का है एंव भूमि शासकीय अभिलेख में आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है जो पंजीकृत विकय पत्र दिनॉक 28-4-81 से आवेदक महिला प्रेमवाई पत्नि नन्दूराम को विकय की गई है और ऐसे विकय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय व्दारा केता आवेदक का नामान्तरण भी किया गया है, किन्तु विकय पत्र संपादन के एंव नामान्तरण होने के 20 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी दर्ज करके आदेश दिनांक 17-8-2007 से विकय अपर कलेक्टर सागर ने त्रृटिपूर्ण ढंग से विकय पत्र शून्य घोषित कया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का पटटा सन् 1959 में देवी प्रसाद पुत्र नाथूराम को प्राप्त हुआ है एंव शासकीय अभिलेख में वह भूमिस्वामी

XXXiX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2294-एक/2016 निगरानी जिला सागर

तथा	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर

अंकित है। शासकीय अभिलेख में भूमि विकय से बर्जित अंकित न होने के कारण एंव भूमिस्वामी स्वत्व की होने से उप पंजीयक ने दिनांक 28-4-1981 को विकय पत्र संपादित किया है तथा विकय पत्र के आधार पर राजस्व अधिकारियों ने केता आवेदक का नामान्तरण भी किया है । प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या वर्ष 1959 में पटटे पर प्राप्त भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का 28-4-81 को किया गया अंतरण संहिता की धारा विकय 165 (7-ख) के उल्लॅधन में माना जावेगा ?

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8 का न्यायिक दृष्टांत हैं कि -

   भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)-धारा 165(7-ख) में यह उल्लेख नहीं है कि भूतलक्षी प्रभावी होगी। इस धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी व्दारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विकय के विषय में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के सम्बन्ध में नया दायित्व सृजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है । अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

   जो भूमिस्वामी अधिकार 1978 में दिये गये, संहिता की धारा 165(7-ख) के अंतर्गत छीने नहीं जा सकते। भूमिस्वामी को विकय करने का निहित अधिकार है उनके अधिकार संहिता की धारा 165(7-ख) के अॅतःस्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित है और संहिता की धारा 158(3) की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि यह 2-10-1992 के सॅशोधन व्दारा अंतःस्थापित की गई है।

2. फुल्ला विरूद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 राजस्व निर्णय

256 उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि

भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)–धारा 165(7–ख) तथा 158 (3) का लागू होना – उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया– उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं। भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

विचाराधीन प्रकरण की भी यही स्थिति है । पट्टा वर्ष 1959 का है तथा भूमि का विकय 28–4–81 को किया गया है । ऐसा अंतरण संहिता की धारा विकय 165 (7–ख) के बंधन से मुक्त है। परन्तु अपर कलेक्टर सागर व्दारा आदेश दिनॉक 17–8–2007 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 180 अ–23/2009–10 निगरानी में आदेश दिनांक 31–5–16 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर सागर व्दारा पारित आदेश दिनॉक 17–8–2007 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 180 अ–23/2009–10 निगरानी में आदेश दिनांक 31–5–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । तद्नुसार वादग्रस्त भूमि पर आवेदक महिला प्रेमवाई पत्नि नन्दूराम का नाम शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् यथावत् रखा जावे।

सदस्य